न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सहरसा।

अनुसूची 14– फारम संख्या 562,

राज्य।

बनाम

हीरो होण्डा स्पेलेन्डर प्लस मोटर साईकिल बिना रजि0 न0, चैचिस नं0 एवं ईंजन नं0

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला– सहरसा,

केस का प्रकार–

केस संख्या– **492/2020–21**,

बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016, के तहत जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त हीरो होण्डा स्पेलेन्डर प्लस मोटर साईकिल बिना रजि0 न0, चैचिस नं0 एवं ईंजन नं0 के अधिहरण (confiscation) करने के संबंध में।

ओदश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित।
1	2	3
	–: आदेश :– प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा के पत्रांक 334/म0नि0 एवं दिनांक–07.07.2020 के आलोक में किया गया है। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव विशेष वाद संख्या– 170/2020, दिनांक–20.03.2020 में जप्त हीरो होण्डा स्पेलेन्डर प्लस मोटर साईकिल बिना रजि0 न0, चैचिस नं0 एवं ईजन नं0 के अधिहरण से संबंधित है। प्रस्ताव में अंकित घटना का स्थान–मकुना वार्ड नं0 12, थाना–बिहरा, घटना की तिथि– 19.03. 2020 के साथ वर्णित है कि– "मद्यनिषेध अभियान के तहत शाम के गश्ती क्रम में उत्पाद बल की सभी गाड़ियों को दूर से देखते ही एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक मोटर साईकिल को सड़क किनारे गिराकर भागा। शक के आधार पर उसे रोकना चाहा लेकिन भागने में सफल रहा। अपने टीम के दो गृहरक्षक वाहिनी के गार्ड को की स्वतंत्र साक्षी मानकर टीम के सभी सदस्यों ने अपना–अपना जमातलाशी उपरांत गिरा हुआ गाड़ी का तलाशी ली गई। तलाशी में काले रंग के मोटरसाईकिल जिसका चैचिस नं० रगड़ा था। इंजिन नं० एवं रजिस्ट्रेशन नं० अंकित नहीं पाया। उक्त मोटरसाईकिल के पीछले सीट पर पलास्टिक के झौले में 05 ली० क्षमता वाले पलास्टिक के पीले गैलन में भरा हुआ अ०म०चु० शराब बरामद किया।" साथ ही अधीक्षक मद्यनिषेध के ओर से उक्त जप्त मोटरसाईकिल को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही	

प्रारंभ कर जप्त हीरो होण्डा स्पेलेन्डर प्लस मोटर साईकिल बिना रजि0 न0, चैचिस नं0 एवं ईंजन नं0 के अधिहरण के बिन्दु पर वाहन मालिक को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया। निर्गत सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जिसमें जप्त वाहन का रजि0 न0, चैचिस नं0 एवं ईंजन नं0 धिसा होने एवं वाहन मालिक का नाम पता की जानकारी नहीं होने के कारण नोटिस का तामिला नहीं हो सकने का प्रतिवेदन अंकित है।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन है कि चूँकि वाहन का प्रयोग शराब के अवैध परिवहन में किया जा रहा था। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा, अधीक्षक उत्पाद सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्य निषेध ओर उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त हीरो होण्डा स्पेलेन्डर प्लस मोटर साईकिल बिना रजि0 न0, चैचिस नं0 एवं ईंजन नं0 को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

वाहन मालिक के अनुपस्थित रहने के कारण राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना।

चूँकि जप्त वाहन से अवैध शराब की बरामदगी हुई है एवं वाहन मालिक के द्वारा पर्याप्त अवसर देने के पश्चात् भी अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं हाजिर किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त जप्त वाहन का अधिहरण करना न्यायोचित एवं विधिसम्मत् प्रतीत होता है। अतः उक्त जप्त वाहन को राज्य के पक्ष में अधिहरण किया जाता है।

अधीक्षक, उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत् निलामी कर बिक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद सहरसा को एवं सूचनार्थ पुलिस अधीक्षक, सहरसा को भी भेजें।

इसी के साथ अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

समाहर्त्ता
सहरसा।

समाहर्त्ता
सहरसा।

ज्ञापांक 49/न्याया०, सहरसा, दिनांक 14.01.21

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

14.01.21

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

14.01.21